

कार्यालय नगर पालिका परिषद मोदीनगर

प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

दिनांक 18-11-2009

नगर पालिका परिषद मोदीनगर अपने सीमा क्षेत्र में मार्गों पर लगे विद्युत पोलो पर लगने वाले विज्ञापन क्योस्क, सार्वजनिक मार्गों पर पालिका द्वारा लगायी गयी रेलिंग पर विज्ञापन, वाल पेन्टिंग, बैनर, पालिका सीमा में स्वागत द्वारो, सार्वजनिक मार्गों के किनारे लगने वाले पोल एड्स इत्यादि बीओटी के आधार पर लगाने हेतु आगामी पाँच वर्षों हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करती है। इच्छुक अनुभवी व्यक्ति/फर्म बन्द लिफाफे में अपने प्रस्ताव दि० 30-11-09 को अपराह्न 12-00 बजे तक कार्यालय नगर पालिका परिषद मोदीनगर में दे सकते हैं। ये प्रस्ताव उसी दिन दोपहर 02-00 बजे उपस्थित प्रस्तावदाताओं के समक्ष खोले जाएंगे।

शर्तें:-

- 1)- केवल प्रस्तुत उत्तम प्रस्ताव एवं उच्चतम विज्ञापन शुल्क एवं जनहित व पालिका हित में अधिक सुविधाएं देने वाली संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर ही विचार किया जायेगा। जनहित की सुविधाओं के अंतर्गत नगर पालिका सीमान्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं निवाडी रोड तथा हापुड रोड पर यात्री शेड, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, डिवाइडर एवं उनकी रेलिंग का सौंदर्यीकरण व रखरखाव, मार्ग प्रकाश लाईटों के रखरखाव के विवरण आदि के प्रस्ताव आंगणन व समय सीमा सहित पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
- 2)- प्रत्येक प्रस्ताव के साथ अंकन 1,00,000-00 रुपये (एक लाख) की धरोहर धनराशि की एफडी0आर0/पे आर्डर/एन0एस0सी0 के रूप में जमा करनी अनिवार्य होगी। प्रस्ताव स्वीकृति की दशा में अंकन 5,00,000-00 रुपये की एफडी0आर0 बतौर धरोहर धनराशि एक सप्ताह के अंदर जमा करानी होगी। प्रस्ताव में दी गयी सुविधाओं के पूर्ण होने के उपरांत आधी धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- 3)- प्रत्येक प्रस्तावदाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से अधिक पुराना न हो व हैसियत प्रमाण पत्र जो कि एक वर्ष से अधिक पुराना न हो, प्रस्ताव के साथ मूल रूप से लगाना अनिवार्य होगा।
- 4)- प्रस्तावदाता किसी भी सरकारी विभाग/निगम/संस्था में ब्लैक लिस्टेड न हो।
- 5)- प्रस्तावदाता की मूल फर्म का पिछले तीन सालों का टर्नओवर न्यूनतम 02 करोड़ प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6)- प्रस्तावदाता का इस कार्य में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 7)- नगर पालिका के किसी भी प्रकार के देयों के बकायेदार प्रस्ताव देने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 8)- किसी भी प्रस्ताव को वित्तीय या तकनीकी आधार पर निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मोदीनगर के पास सुरक्षित है।
- 9)- शेष जानकारी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(सत्येन्द्र कुमार तिवारी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मोदीनगर

(सुदेश शर्मा)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद मोदीनगर

पत्रांक एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

- 1- प्रभारी अधिकारी नजारात कलैक्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय गाजियाबाद।
- 2- कार्यालय उपजिलाधिकारी, मोदीनगर।
- 3- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी, हापुड, गढमुक्तेश्वर, मुरादनगर, पिलखुवा।
- 4- सम्पादक/विज्ञापन व्यवस्थापक राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, अमर उजाला मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना आगामी प्रकाशित होने वाले अंक में कम से कम स्थान पर प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा भुगतान हेतु अपना बिल प्रस्तुत करें।
- 5- प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0 कलैक्ट्रेट गाजियाबाद।
- 6- कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

18/11/09

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मोदीनगर